



JALAUN POLICE

“Operation Conviction”

दिनांक 08.05.2026

"ऑपरेशन कन्विकशन" के अन्तर्गत मॉनीटरिंग सेल जनपद जालौन व थाना कदौरा पुलिस द्वारा की गयी सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप आरोपी द्वारा पीडित को बन्धक बनाकर श्रम कराना व मारपीट करने के संबन्ध में वादी की तहरीर के आधार पर अभियुक्त 1. अवधेश पुत्र लल्लू सिंह निवासी ग्राम गेरेही थाना कदौरा जनपद जालौन के विरुद्ध मु0अ0सं0 486/89 धारा 323/342/374/452 भादवि व 1860 बंधुआ श्रम प्रतिषेध अभिनियम में पंजीकृत अभियोग में अभियुक्त उपरोक्त को **03 वर्ष का कारावास एवं 27,000/- रुपये के अर्थदण्ड** से दण्डित किया गया है।

पुलिस अधीक्षक जालौन के निर्देशन में मॉनीटरिंग सेल जनपद जालौन एवं थाना कदौरा की सशक्त व प्रभावी पैरवी से मा0 न्यायालय एजेएम कोर्ट कालपी जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त 1. अवधेश पुत्र लल्लू सिंह उपरोक्त को दोषी पाते हुए **03 वर्ष का कारावास एवं 27,000/- रुपये** के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।



अभियोजन अधिकारी
योगेश कुमार



प्र0नि0 मॉनिटरिंग सेल
श्री परमहंस तिवारी



कोर्ट मुहर्रर रोहित
सिंह



कोर्ट पैरोकार
शिवप्रताप सिंह